अनुदान संख्या 65 – अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय
GRANT No. 65–MINISTRY OF NON-CONVENTIONAL ENERGY SOURCES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
मूल	Original	509,23,00		509,25,00	180,28,98	–328,96,02
पूरक	Supplementary	2,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					329,65,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–			96,04,00	60,04,00	–36,00,00
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					36,00,00

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, अभ्यर्पित राशि (32965.00 लाख रु.) 32896.02 लाख रु. की कुल बचत से अधिक हो गई।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ :-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the amount surrendered (Rs.32965.00 lakhs) exceeded the overall savings of Rs.32896.02 lakhs.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	6000.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–6000.00			
मुख्य शीर्ष "2810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत	Major Head "2810" Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	41713.00	15051.11	15289.47	+238.36
पू.	S.	2.00			
पु.	R.	–26663.89			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	1559.00	1472.39	1471.63	–0.76
पु.	R.	–86.61			
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments				
मू.	O.	253.00	102.00	10.45	–91.55
पु.	R.	–151.00			

(I) 12701.00 लाख रु. का प्रावधान सत्रह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 12400.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 6000.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2810" -

(क) "सौर - प्रकाशवोल्टीय - आईएससीसी परियोजना के लिए जीईएफ अनुदान" - 5200.00 लाख रु. परियोजना के कार्यान्वयन में विलंब होने के कारण थे।

(ख) "पवन - अनुसंधान और विकास - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता" - 200.00 लाख रु. अनुसंधान और विकास संस्थाओं/संगठनों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.12701.00 lakhs remained wholly unutilised under seventeen heads; of these Rs.12400.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2552" –"Other Expenditure-Provision for projects/schemes for North Eastern Region and Sikkim" – Rs.6000.00 lakhs– due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region including Sikkim.

(B) Major Head "2810" -

(a) "Solar–Photovoltaic - GEF grants for ISCC Project" – Rs.5200.00 lakhs – due to delay in implementation of the project.

(b) "Wind – Research and Development – Assistance to Wind Power Generation Programme"- Rs.200.00 lakhs – due to non-receipt of proposals from the Research and Development Institutions/ Organisations.

(ग) ''अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(i) ''भू-ताप ऊर्जा'' - 200.00 लाख रु. जम्मू तथा कश्मीर में पूगा घाटी और तत्तापानी छत्तीसगढ़ में भू-ताप का उपयोग करने के लिए एनजीआरआई, हैदराबाद से अनुसंधान और विकास परियोजना तथा विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहायता प्राप्त करने का निर्णय प्राप्त न होने के कारण थे।

(ii) ''महासागर ऊर्जा'' - 200.00 लाख रु. पर्यावरण संबंधी और अन्य सांविधिक स्वीकृतियां प्राप्त न होने की वजह से पश्चिम बंगाल नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण से ज्वार-भाटा परियोजना शुरू न किए जाने के कारण थे।

(घ) ''अन्य व्यय - राष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा संस्थान'' - 600.00 लाख रु. प्रक्रिया और प्रशासन संबंधी कठिनाई होने और संस्थान के पास अव्ययित शेष के उपलब्ध रहने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2810'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं :-

(का) ''जैव ऊर्जा'' -

(क) ''अनुसंधान और विकास - बायोमास कार्यक्रम के लिए सहायता'' - 331.76 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं से पर्याप्त संख्या में प्रस्तावों के प्राप्त न होने कारण हुई।

(ख) ''बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम - बायोगैस विकास संबंधी राष्ट्रीय परियोजना'' - 1207.42 लाख रु. की बचत (2815.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वीकृति देर से जारी किए जाने और साथ ही उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''बायोमास'' -

(i) ''अकेले अनुप्रयोग के लिए बायोमास गैसीफायर'' - 297.41 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के

(c) "Others - Other Sources of Energy" -

(i) "Geo-Thermal Energy" – Rs.200.00 lakhs– due to non-receipt of Research and Development project from NGRI, Hyderabad and the decision of seeking international assistance for preparation of a detailed report for exploiting Geo-Thermal in Puga Valley in J&K and Tattapani Chhatisgarh.

(ii) "Ocean Energy" – Rs.200.00 lakhs – due to non-taking up of tidal project from West Bengal Renewable Energy Development Agency owing to non-receipt of environmental and other statutory clearances.

(d) "Other Expenditure – National Institute of Renewable Energy" – Rs.600.00 lakhs - due to procedural and administrative constraints and availability of unspent balance with the institute.

(II) Under Major Head "2810" – savings occurred the under the following heads:-

(A) "Bio-Energy" –

(a) "Research and Development- Assistance for Biomass Programme" – saving of Rs.331.76 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate number of proposals from Research and Development Institutions.

(b) "National Programme for Biogas Development – National Project on Biogas Development" – saving of Rs.1207.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2815.00 lakhs) was due to late issue of sanction and also on account of non-submission of utilisation certificate.

(c) "Biomass" –

(i) "Biomass Gasifier for Stand Alone Application" – saving of Rs.297.41 lakhs

स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैसीफायर पंप संयंत्र छोटे आकार का लगा दिए जाने तथा और अधिक बायोमास गैसीफायर संयंत्र स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''बायोमास सहउत्पादन एवं दहन'' - 832.47 लाख रु. की बचत (1454.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पांच बायोमास विद्युत परियोजनाओं और दो सहउत्पादन परियोजनाओं का विद्युत क्रय करार कर्नाटक विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड द्वारा एकतरफा रूप से रद्द किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''सौर'' -

(क) ''सौर ताप ऊर्जा कार्यक्रम'' -

(i) ''सौर ऊर्जा केंद्र'' - 205.88 लाख रु. की बचत (221.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सन-सिमुलेटर की खरीद न किए जाने और प्रस्तावों को स्वीकृत न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''अनुसंधान और विकास'' - 169.01 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान और विकास संस्थाओं से पर्याप्त प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''निदर्शन, प्रौद्योगिकी उपयोग और बाजार विकास'' - 379.20 लाख रु. की बचत (1020.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ब्याज सहायता स्कीमों के अंतर्गत बैंकों द्वारा जारी किए जाने के लिए अतिरिक्त दस्तावेजों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''फोटोवोल्टीय'' -

(i) ''अनुसंधान और विकास'' - 169.30 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अनुसंधान तथा विकास समिति द्वारा अनुमोदन के लिए कम प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(ii) ''निदर्शन और प्रौद्योगिकी'' - 195.59 लाख रु. की बचत (दिसम्बर, 2004 में प्राप्त किए गए 1.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1401.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संबंधित अभिकरणों से अधूरे प्रस्ताव प्राप्त होने के कारण हुई।

(against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to installation of smaller size gasifier pump plant and also on account of non-sanctioning of more Biomass gasifier plant.

(ii) "Biomass Co-generation and Combustion"– saving of Rs.832.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1454.00 lakhs) was due to unilateral cancellation of Power Purchase Agreement of five bio-mass power projects and two cogeneration projects by Karnataka Power Trading Corporation Limited.

(B) "Solar" -

(a) "Solar Thermal Energy Programme" –

(i) "Solar Energy Centre" – saving of Rs.205.88 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.221.00 lakhs) was due to non-purchase of sun-simulator and non-clearance of proposals.

(ii) "Research and Development" – saving of Rs.169.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to non-receipt of adequate proposals from Research and Development Institutions.

(iii) "Demonstration, Technology Utilisation and Market Development" – saving of Rs.379.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1020.00 lakhs) was due to non-receipt of additional documents for release by banks under interest subsidy schemes.

(b) "Photovoltaic" -

(i) "Research and Development" – saving of Rs.169.30 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less proposal for approval by Research Development Committee.

(ii) "Demonstration and Technology" – saving of Rs.195.59 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1401.00 lakhs including supplementary grant of 1.00 lakh obtained in December, 2004) was due to receipt of incomplete proposals from agencies concerned.

(गा) ''पवन'' -

(क) ''निदर्शन - पवन विद्युत उत्पादन कार्यक्रम को सहायता''- 256.00 लाख रु. की बचत (885.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरण से पवन विद्युत निदर्शन के लिए प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ख) ''पवन ऊर्जा केंद्र - पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र को सहायता'' - 200.00 लाख रु. की बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सी-डब्ल्युईटी से अनुसंधान और विकास प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुई।

(घा) ''अन्य'' -

(क) ''शहरी और कृषि अपशिष्ट से ऊर्जा'' -

(i) ''शहरी/नगरपालिका अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 675.49 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम की समीक्षा की वजह से ऊर्जा पुन:प्राप्ति कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ii) ''औद्योगिक अपशिष्ट से ऊर्जा'' - 320.85 लाख रु. की बचत (740.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बायोगैस इंजन की आपूर्ति और कार्य प्रारम्भ होने में विलंब होने और साथ ही संयंत्र उपस्कर को अंतिम रूप देने में विलंब होने के कारण हुई।

(ख) ''ऊर्जा के अन्य स्रोत'' -

(i) ''ऊर्जा के रासायनिक स्रोत'' - 188.01 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड स्थित नोडीय अनुसंधान तथा विकास केंद्र को अभिकल्पित सहायता दिए जाने और फ्यूल सेल निदर्शन वैन के न आ सकने के कारण हुई।

(ii) ''सड़क परिवहन के लिए वैकल्पिक ईंधन'' - 372.47 लाख रु. की बचत (390.00 लाख रु. के स्वीकृत

(C) "Wind"-

(a) "Demonstration- Assistance to Wind Power Generation Programme"- saving of Rs.256.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.885.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for Wind Power demonstration from State Nodal Agency.

(b) "Wind Energy Centre- Assistance to Centre for Wind Energy Technology"- saving of Rs.200.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.800.00 lakhs) was due to non-receipt of Research and Development proposals from C-WET.

(D) "Others" -

(a) "Energy from Urban and Agricultural Waste" -

(i) "Energy from Urban/Municipal Waste"- saving of Rs.675.49 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-approval for implementation of Energy Recovery Programme owing to review of the programme.

(ii) "Energy from Industrial Waste"- saving of Rs.320.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.740.00 lakhs) was due to delay in supply of Bio-gas engine and commencement of work and also due to delay in finalisation of the plant equipment.

(b) "Other Sources of Energy" -

(i) "Chemical Sources of Energy" - saving of Rs.188.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to envisaged support to a nodal Research and Development Centre at BHEL and a demonstration of fuel cell van could not come.

(ii) "Alternate Fuel for Surface Transportation"– saving of Rs.372.47 lakhs

प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों से अनुसंधान और विकास परियोजनाओं और बैटरी चालित वाहनों के निदर्शन संबंधी परियोजनाओं के पर्याप्त संख्या में न होने के कारण हुई।

(iii) ''सड़क परिवहन के लिए जैव ईंधन'' - 151.58 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कई गांवों को शामिल करने से पहले प्रायोगिक पैमाने पर केवल अखाद्य तेलों के उपयोग का परीक्षण किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''अन्य व्यय'' -

(i) ''सूचना और प्रचार कार्यक्रम'' - 281.06 लाख रु. की बचत (530.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय, दूरदर्शन, एसएनए, डाक विभाग आदि जैसे विभिन्न अभिकरणों से इलेक्ट्रानिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, प्रदर्शनी आदि के माध्यम से बाह्य प्रचार के प्रस्तावों के प्राप्त न होने और उपयोग प्रमाण पत्र के समय पर प्राप्त न होने के कारण हुई।

(ii) ''विशेष क्षेत्र परियोजना'' - 342.68 लाख रु. की बचत (425.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य नोडीय अभिकरणों से उपयोग प्रमाण पत्र, व्यय का लेखापरीक्षित विवरण और प्रणालियों की कार्यकारिता रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण हुई।

(iii) ''संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम का ग्रामीण ऊर्जा सहायता कार्यक्रम'' - 134.00 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) नई परियोजना होने की वजह से व्यय की गति धीमी होने के कारण हुई।

(iv) ''ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम'' - 13926.23 लाख रु. की बचत (16700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) मंत्रिमंडल द्वारा ग्रामीण ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - जैव ऊर्जा - बायोगैस विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम'' के अंतर्गत 216.74 लाख रु. की

(against the sanctioned provision of Rs.390.00 lakhs) was due to insufficient number of Research and Development projects and projects for demonstration of battery operated vehicles from the State Nodal Agencies.

(iii) “Bio-Fuels for Surface Transportation”- saving of Rs.151.58 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to testing the use of non-edible oils only on pilot scale before covering many villages.

(c) “Other Expenditure”-

(i) “Information and Publicity Programme” - saving of Rs.281.06 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.530.00 lakhs) was due to non- receipt of proposals from various agencies like DAVP, Doordarshan, SNA, Department of Posts etc. for outdoor publicity through electronic media, print media, exhibition etc. including utilisation certificate in time.

(ii) “Special Area Project”- saving of Rs.342.68 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.425.00 lakhs) was due to non-receipt of utilisation certificates, audited statement of expenditure and functionality report of systems from State Nodal Agencies.

(iii) “UNDP Rural Energy Support Programme” – saving of Rs.134.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to slow pace of expenditure, being a new project.

(iv) “Village Electrification Programme” – saving of Rs.13926.23 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16700.00 lakhs) was due to non-approval of Rural Village Electrification Programme by Cabinet.

(III) Under Major Head “3601”-“Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Bio-Energy-National Programme for Biogas Development”- saving of Rs.216.74 lakhs (against the sanctioned

बचत (800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति देर से जारी किए जाने के कारण हुई।

(IV) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - सौर फोटो वोल्टीय - फोटोवोल्टीय" के अंतर्गत 138.35 लाख रु. की बचत (140.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) ग्रिड पारस्परिकता विद्युत परियोजनाएं पूरी न हो पाने के कारण हुई।

(V) चार शीर्षों के अंतर्गत 254.46 लाख रु. की बचतें हुईं जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 30 प्रतिशत से 76 प्रतिशत तक थीं।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(I) मुख्य शीर्ष "2810" - "अन्य - ऊर्जा के अन्य स्रोत - लघु जल विद्युत विकास" - 1111.01 लाख रु. का अधिक व्यय (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "2552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(II) मुख्य शीर्ष "3601" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा आयोजना कार्यक्रम - निगरानी" - 149.37 लाख रु. का अधिक व्यय (639.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम के अंतर्गत चालू कार्यक्रम की देयताओं को स्वीकृति प्रदान किए जाने के कारण हुआ।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 61.25 लाख रु. का अधिक व्यय हुआ जो स्वीकृत प्रावधान का 245 प्रतिशत था।

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुई:-

provision of Rs.800.00 lakhs) was due to late issue of sanction for implementation of the programme.

(IV) Under Major Head "3602"- "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes - Solar Photo Voltaic- Photovoltaic"- saving of Rs.138.35 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.140.00 lakhs) was due to non-completion of Grid Interactive Power Projects.

(V) Under four heads savings of Rs.254.46 lakhs occurred, each exceeding of Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 30 percent to 76 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2810" – "Others-Other Sources of Energy – Small Hydro Power Development" – excess of Rs.1111.01 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(II) Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Integrated Rural Energy Planning Programme – Monitoring" – excess of Rs.149.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.639.00 lakhs) was due to clearing of liabilities of on going programme under Integrated Rural Energy Programme.

(III) Under one head excess of Rs.61.25 lakhs occurred constituting 245 percent of the sanctioned provision.

3. In the capital section of the grant, saving occurred under the following major head:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "6810" अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के लिए कर्ज	Major Head "6810" Loans for Non-Conventional Sources of Energy				
मू.	O.	4600.00	1000.00	1000.00	. .
पु.	R.	–3600.00			

(I) "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण" के अंतर्गत 3600.00 लाख रु. की बचत (4600.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण को पहले जारी किए जा चुके कर्ज का धीमा उपयोग होने के कारण हुई।

(I) Under "Loans to Public Sector and Other Undertakings – Indian Renewable Energy Development Agency" – saving of Rs.3600.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4600.00 lakhs) was due to slow utilisation of loan already released to Indian Renewable Energy Development Agency.